बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति, दरभंगा

पुस्तक भंडार कैम्पस, लहेरियासराय, दरभंगा

फोन एवं फैक्स संख्या – 06272–244060

पत्रांक.................... दिनांक....................

प्रेषक,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
मध्याह्न भोजन योजना, दरभंगा।

सेवा में,

निदेशक
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
बिहार, पटना।

विषयः– मध्याह्न भोजन योजना के खाद्यान्न के वितरण हेतु संवेदक चयन निविदा प्रकाशित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अंकित करना है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए संवेदक चयन से संबंधित निविदा का प्रारूप इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

अतः सादर अनुरोध है कि दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करने कि कृपा की जाए।

अनुलग्नक– निविदा की पाँच (5) प्रति,
सी0डी0 सहित।

विश्वासभाजन

[signature]

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
मध्याह्न भोजन योजना, दरभंगा।

ज्ञापांक 658 / लहेरियासराय, दिनांक 1|6|16

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि संवेदक चयन से संबंधित निविदा एवं बायोडाटा जिला के वेबसाइट पर प्रकाशित करने कि कृपा की जाए।

प्रतिलिपि– जिला पदाधिकारी, दरभंगा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

[signature] 1|6|16

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
मध्याह्न भोजन योजना, दरभंगा।

कार्यालयः– बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति, दरभंगा।

निविदा आमंत्रण सूचना

निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना, बिहार पटना के पत्रांक 5068 दिनांक 25.04.2011, पत्रांक 5291 दिनांक 14.06.2011, पत्रांक 366 दिनांक 19.03.2012, पत्रांक 1330 दिनांक 17.08.2012, पत्रांक 1366 दिनांक 28.08.2012, एवं पत्रांक 1430 दिनांक 13.09.2012 में निहित निर्देश के आलोक में मध्याह्न भोजन के खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण हेतु दरभंगा जिला अन्तर्गत सभी 7 प्रखंड (दरभंगा सदर, तारडीह, मनीगाछी, किरतपुर, गौड़ाबौराम, बेनीपुर एवं कुशेश्वर परिश्मी) में संवेदक के रूप में चयन हेतु इच्छुक आवेदकों से निम्नलिखित शर्तो पर मुहरबन्द निविदा निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से कार्यालय, बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति, दरभंगा, पुस्तक भंडार कैम्पस, लहेरियासराय, 846001 मानसरोवर होटल के सामने के पते पर निविदा प्रकाशन के तिथि के 10 वें दिन अपराह्न 5.00 बजे तक आमंत्रित किया जाता है तथा निविदा प्रकाशन के 12 वें दिन पूर्वाह्न 11.00 बजे समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में प्राप्त निविदा आवेदक अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जाएगी। 10 वें तथा 12 वें दिन यदि सार्वजनिक अवकाश/बिहार सरकार द्वारा घोषित अवकाश होगा तो ठीक उसके अगले कार्य दिवस की गणना 10वें/12 वें दिन के रूप में होगी। चयन समिति के अध्यक्ष को निविदा खोलने की तिथि व समय में परिवर्तन का पूर्ण अधिकार होगा। लिफाफा के उपर आवेदित प्रखंड का नाम जिसके लिए निविदा डाली गयी है तथा मोबाईल नम्बर स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। कोई भी चयनित जन प्रतिनिधि एवं जन वितरण प्रणाली के डीलर तथा राज्य खाद्य निगम द्वारा एकरारनामित मिलर इस निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे। एक लिफाफा में एक ही प्रखंड के लिए निविदा देना होगा।

1. प्रखंड दरभंगा सदर (पंचायत 26), बेनीपुर (पंचायत 22), मनीगाछी (पंचायत 22) हेतु 8 (आठ) पिकअपवान/ट्रैक्टर/ट्रक एवं प्रखंड किरतपुर (पंचायत 8), कुशेश्वर परिश्मी (पंचायत 14), गौड़ाबौराम (पंचायत 13), तारडीह (पंचायत 15) हेतु 5 (पांच) पिकअपवान/ट्रक/ट्रैक्टर मालिकों का लिखित एकरारनामा मूल रूप में आवेदन के साथ जमा करना होगा। चयन होने की स्थिति में वे वाहन मालिक अपने पिकअपवाहन/ट्रैक्टर/ट्रक को उन प्रखंड में मध्याह्न भोजन योजना के खाद्यान्न के उठाव हेतु आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायेंगे। सभी वाहनों का पंजीयन व्यवसायिक श्रेणी में ट्राली सहित (ट्रैक्टर के संदर्भ में) होना आवश्यक है। वाहन का एकरारनामा एक हजार रूपये (1000.00) के नन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए। प्रत्येक वाहन के लिए अलग–अलग एकरारनामा सलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि एक ही वाहन मालिक के नाम व पते से 8/5 संदर्भित वाहन निबंधित हो तो निविदादाता, वाहन मालिक के सहमति के उपरान्त एक हजार रूपये (1000.00) के एक ही एकरारनामा पर निविदा डाल सकेंगे।
2. एक वाहन/वाहनों का एकरारनामा एक ही आवेदक के पक्ष में होना चाहिए। यदि एक से अधिक आवेदक के पक्ष में एक ही वाहन/वाहनों का एकरारनामा पाया जायेगा तो उक्त सभी आवेदकों के आवेदन को रद्द किया जा सकता है। एकरारनामा में दर्ज निबंधित वाहन संख्या से ही MDM खाद्यान्न का उठाव तथा वितरण करना अनिवार्य होगा। परिवहन करने वाले प्रत्येक वाहन पर MDM खाद्यान्न, प्रखंड का नाम एवं जिला दरभंगा के नाम का बैनर लगाना अनिवार्य होगा।
3. प्रत्येक प्रखंड के लिए निविदादाता को 50,000/– (पचास हजार रू0) का बैंक गारंटी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, दरभंगा के पक्ष में जमा करना होगा।
4. निविदादाता को अनुमण्डल पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र जो तीन महीने के अन्दर का निर्गत हो, मूल रूप में समर्पित करना अनिवार्य होगा।
5. निविदादाता को 10,000/– (दस हजार रू0) अग्रिम सुरक्षित जमा राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति, दरभंगा के नाम से जमा करना होगा।
6. समय पर कार्य करने में असफल होने अथवा असंतोषजनक कार्य पर चयनित संवेदक की सुरक्षित जमा राशि (10,000/– रू0) जब्त कर ली जाएगी तथा उन्हें बीच में ही चयन मुक्त कर दिया जायेगा।
7. चावल का उठाव प्रखंड साधन सेवी तथा संवेदक संयुक्त हस्ताक्षर से करेंगे। मात्रा तथा गुणवत्ता के लिए प्रखंड साधन सेवी एवं संवेदक संयुक्त रूप से जिम्मेवार होंगे। राज्य खाद्य निगम के गोदाम से चावल निर्धारित मात्रा में उठाव कर विद्यालय के स्टोर तक पहुंचाने की जिम्मेवारी संवेदक की होगी। इसमें प्रयुक्त होनेवाले वाहन, ईंधन, लगने वाली मजदूरी, हथालन व्यय आदि सारी व्यवस्था संवेदक द्वारा की जाएगी। जिलाधिकारी द्वारा निर्गत SIO के आधार पर प्रखंड साधन सेवी तथा संवेदक दोनों अपने संयुक्त हस्ताक्षर से राज्य खाद्य निगम के गोदाम से मध्याह्न भोजन योजना के लिए खाद्यान्न का उठाव करेंगे। उठाव किये गये खाद्यान्न का वितरण उसी दिन संध्या तक करना अनिवार्य होगा। प्रखंड साधन सेवी विद्यालय द्वारा विद्यालय में प्रधानाध्यापक/प्रभारी द्वारा प्राप्त किये गये खाद्यान्न को सत्यापित करते हुए प्रखंड स्तर पर विद्यालयों में खाद्यान्न प्राप्ति सूची को समेकित कर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना को उपलब्ध कराया जाएगा। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना प्रखंड के विद्यालयों में खाद्यान्न की प्राप्ति सूची से संतुष्ट होने के उपरान्त परिवहन–सह–हथालन मद में 40/– रू0 प्रति क्विंटल की दर से संवेदक को राशि का भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।

8. राज्य खाद्य निगम के गोदाम से विद्यालय तक खाद्यान्न पहुँचाने के दौरान दुर्घटना या अन्य किसी कारणवश खाद्यान्न के बर्बाद होने या चोरी होने की जिम्मेवारी संवेदक की होगी तथा बाजार दर पर खाद्यान्न की क्षतिपूर्ति राशि संवेदक से वसूल की जाएगी।

9. एकरारनामा वित्तीय वर्ष हेतु 2016–17 (दिनांक 31.3.2017 तक) के लिए किया जाएगा। संवेदक के असफल होने या असंतोषजनक कार्य करने की स्थिति में एकरारनामा समय से पूर्व भी रद्द किया जा सकता है। उठाव एवं वितरण में लापरवाही अथवा निष्क्रियता बरतने पर संवेदक पर आर्थिक दण्ड लगाया जा सकता है।

10. निविदादाता को निविदा के साथ पैन कार्ड की अभिप्रमाणित छायाप्रति तथा वर्त्तमान का दो रंगीन फोटोग्राफ एवं बायो डाटा संलग्न कराना अनिवार्य होगा।

11. निविदादाता निर्धारित तथा समान अहर्त्ता पूर्ण करने वाले एक से अधिक संवेदको से निविदा प्राप्त होने की स्थिति में लॉटरी पद्धति से प्रखंड संवेदक का चयन किया जायेगा।

12. एक निविदादाता को एक ही प्रखंड आवंटित होगा। यदि कोई निविदादाता एक से अधिक प्रखंड हेतु चयनित होते हैं तो अध्यक्ष का निर्णय इस संबंध मे अंतिम होगा।

13. इस प्रसंग में कोई अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए जिला मध्याहन भोजन योजना दरभंगा के कार्यालय अथवा दुरभाष संख्या– 06272–244060 पर कार्यालय अवधि मे संपर्क किया जा सकता है।

14. निविदा को बिना कारण बताए स्वीकृत या अस्वीकृत करने का सर्वाधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

15. चयनित संवेदक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याहन भोजन योजना, दरभंगा के साथ एकरारनामा करेंगे जिसमें सभी अनुमान्य शर्तों के अनुरूप आवश्यक कागजात संलग्न करने की अनिवार्यता होगी।

16. विज्ञापन एवं विहित प्रपत्र में बायोडाटा दरभंगा जिले के वेबसाईट www.darbhanga.bih.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

जिला पदाधिकारी
–सह–अध्यक्ष
जिला स्तरीय चयन समिति,
दरभंगा।

बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति, दरभंगा।

संवेदक चयन हेतु आवेदन प्रपत्र

1. आवेदित प्रखंड का नाम :- ....
2. आवेदक का नाम :- ....
3. आवेदक के पिता/पति का नाम :- ....
4. उम्र (जन्म तिथि) :- ....
5. दूरभाष/मोबाईल संख्या :- ....
6. ईमेल पता (अनिवार्य) :- ....
7. स्थायी पता :- ....

हाल ही का एक रंगीन अभिप्रमाणित फोटोग्राफ (हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन एवं आधा भाग फोटोग्राफ पर)

....

ग्रामः- .... पोस्टः- ....
थानाः- .... प्रखंडः- ....
जिलाः- .... राज्यः- ....
पिन कोडः- ....

8. पत्राचार का पताः-

....

ग्रामः- .... पोस्टः- ....
थानाः- .... प्रखंडः- ....
जिलाः- .... राज्यः- ....
पिन कोडः- ....

9. बैंक गारंटी संलग्न (हाँ/नहीं):- ....।

बैंक गारंटी जारी करने वाले बैंक का नाम एवं पता	बैंक गारंटी संख्या	बैंक गारंटी जारी करने की तिथि	बैंक गारंटी कि राशि	बैंक गारंटी कि समाप्ति कि तिथि

10. डिमांड ड्राफ्ट संलग्न (हाँ/नहीं):- ....।

डिमांड ड्राफ्ट जारी करने वाले बैंक का नाम एवं पता	डिमांड ड्राफ्ट संख्या	डिमांड ड्राफ्ट जारी करने की तिथि	डिमांड ड्राफ्ट कि राशि

11. मूल चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न (हाँ/नहीं):- ....।

चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने वाले का पदनाम	चरित्र प्रमाण पत्र संख्या	चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि	तीन माह के अंदर का है या नहीं

12. पैन कार्ड कि अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न (हाँ/नहीं):- ....।

13. तीन माह के अंदर का दो रंगीन फोटो संलग्न (हाँ/नहीं):- ....।
(एक अनुलग्नक के रूप में एवं एक आवेदन प्रपत्र के निर्धारित स्थान पर)

(113)

14. कुल एकरारनामा वाले वाहनों की संख्या:–

क्र० सं०	वाहन मालिक का नाम	वाहन का प्रकार	वाहन निबंधन संख्या	वाणिज्यिक वाहन है या नहीं	अभियुक्ति
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					

15. मैं किसी प्रकार का जन प्रतिनिधि नहीं हूँ।
16. मेरे नाम से जनवितरण प्रणाली की दूकान नहीं है।
17. मेरे परिवार के किसी सदस्य के नाम से जन वितरण प्रणाली की दुकान है (हाँ / नहीं):– ....।
    (यदि हाँ तो, किनके नाम से.. एवं आपसे संबंध..................................)
18. मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का आपराधिक / न्यायिक मामला है(हाँ / नहीं):– ....।
19. चयनोपरांत जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, दरभंगा के साथ सभी अनुमान्य शर्तों के अनुरूप एकरारनामा करूँगा (हाँ / नहीं):– ....।
20. अनुलग्नक– आवेदन पत्र सहित सभी कागजात कुल पृष्ठों की संख्या.............................. है।

मैं यह घोषणा करता / करती हूँ कि उपरोक्त सभी सूचनाएँ एवं आवेदन के साथ संलग्न सभी **कागजात एवं अभिलेख** मेरी जानकारी में सही एवं सत्य है। यदि अंकित सूचनाएँ गलत एवं संलग्न कागजात / अभिलेख फर्जी पाई जाती है तो विभाग संवेदक के रूप में मेरा चयन रद्द करते हुए मुझ पर कानूनी कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा।

स्थान :– ....

दिनांक :– ....

आवेदक का नाम / हस्ताक्षर

एवं पूर्ण पता